

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 9 (71) परि/एस.टी.ए./मु./2017/ 1297


दिनांक 20/11/2020

नोटिस

विषय :- जयपुर-कोटा वाया टोंक, देवली अधिसूचित मार्ग संख्या 21 पर हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 18.12.2019 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि अधिसूचित मार्ग संख्या 21 जयपुर-टोंक-देवली-कोटा पर माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 21486/2019 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2019 में संबंधित आवेदकों के आवेदनों को निस्तारित करने हेतु आदेशित किया है। अतः उक्त के संबंध में दिनांक 30.01.2020 प्रातः 11:00 बजे भू-गृह प्रथम कक्ष नं. 1, परिवहन भवन सहकार मार्ग जयपुर में सुनवाई की जावेगी।

अतः सभी संबंधित आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि नियत दिनांक व समय सुनवाई हेतु व्यक्तिशः या जरिये अधिवक्ता उपस्थित हों।

  
(आर.सी.यादव)  
सचिव


राज्य परिवहन प्राधिकार  
दिनांक 20/11/2020

क्रमांक : प. 9 (71) परि/एस.टी.ए./मु./2017/ 1298-99

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर को भेजकर लेख है कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुये सभी संबंधित आवेदकों को भी सूचित करें।
2. रक्षित पत्रावली।

3. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट हेतु।

  
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार  
७७